न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 30/2023

दायर दिनांक: 21/09/2023

उनवान

1. किशोर उर्फ नन्दकिशोर पुत्र प्रभुलाल जाति माली निवासी केरवालिया तहसील अटरू जिला बारां हाल मोईकला तहसील सांगोद जिला कोटा (राज०)

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—
प्रार्थिया :—विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा
अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

आदेश दिनाक: 20/11/2024

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल केरवालिया पटवार हल्का केरवालिया तहसील अटरू जिला बारां (राज०) की आराजी खाता संख्या 20 का ख.नं. 144/609 का रकबा 0.21 हे० आराजी प्रार्थी के दर्ज खाता स्थित है। नवीन नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 साथ में संलग्न है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में आपके अधीनस्थ कर्मचारीगण ने प्रार्थी का नाम नन्दकिशोर के स्थान पर किशोर दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी के दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, जनआधार कार्ड एवं ग्राम केरवालिया की आराजी खाता संख्या 65 व अन्य दस्तावेजात में प्रार्थी का सही नाम नन्दकिशोर दर्ज है। बिना सहायता न्यायालय प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित ग्राम केरवालिया की आराजी खाता संख्या 20 में प्रार्थी का नाम किशोर के स्थान पर नन्दकिशोर या नन्दकिशोर उर्फ किशोर दर्ज करवाया जाना सम्भव नही है। अगर प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम सही दर्ज नही किया गया तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी तथा अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पड़ेगा तथा सरकारी सहायता से [illegible] पड़ेगा। अस्तु प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.12.04 10:22:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

शोर के स्थान पर सही नाम नन्दकिशोर या नन्दकिशोर उर्फ किशोर दर्ज किया जावे। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल०आर०एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित ग्राम केरवालिया की आराजी खाता संख्या 20 में प्रार्थी का नाम किशोर के स्थान पर सही नाम नन्दकिशोर या नन्दकिशोर उर्फ किशोर दर्ज करने की कृपा करें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2024/3387 दिनांक 13.11.2024 को शामिल फाईल किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थी की मौखिक बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल केरवालिया सम्वत 2072–75 खाता संख्या 20, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल केरवालिया सम्वत 2072–75 खाता संख्या 65, जन–आधार कार्ड, ग्राम पंचायत जीरोद प्रमाण पत्र आधार कार्ड व मतदाता पहचान पत्र का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण तथा तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल केरवालिया पटवार हल्का केरवालिया तहसील अटरू जिला बारां (राज०) की आराजी खाता संख्या 20 का ख.नं. 144/609 का रकबा 0.21 हे० में खातेदार किशोर पुत्र प्रभूलाल के स्थान पर नन्दकिशोर उर्फ किशोर पुत्र प्रभूलाल किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः रिकार्ड के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल केरवालिया पटवार हल्का केरवालिया तहसील अटरू जिला बारां (राज०) की आराजी खाता संख्या 20 का ख.नं. 144/609 का रकबा 0.21 हे० में खातेदार किशोर पुत्र प्रभूलाल के स्थान पर नन्दकिशोर उर्फ किशोर पुत्र प्रभूलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.12.04 10:22:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

यह निर्णय आज दिनांक 21.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21-11-24

(ओम प्रकाश चन्देलिया)

उपखण्ड अधिकारी

अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.12.04 10:22:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner